न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 1/2023

प्रार्थी :—

1. चरणसिंह सिसोदिया पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जेलवा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हालमुकाम गणेश नगर झोटवाडा जयपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. चन्दनसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. विक्रमसिह पुत्र फतेहसिंह
3. दीपूकंवर पुत्री फतेहसिंह
4. रेणूकंवर पुत्री फतेहसिंह जातियान राजपूत निवासीगण जैलवा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. श्रीमति सागर कंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी चैनसिंह जाति राजपूत निवासी हापत तहसील सोजतसिटी जिला पाली
6. श्रीमति प्रेमकंवर पत्नी फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी जैलवा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक 7/10/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा तथा खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या–1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 1774॰1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी अभी एक महिने पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर के चारों ओर काटो की तारबन्दी करने हेतु गया लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 1774/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के खातेदारो ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि किसी भी सूरत में भूमि का नाप तथा तारबन्दी नही करने देंगे। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 7 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर का भू पैमाईश करने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 30.11.2022 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी रावर ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 1772/1, 1773/1 का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.01.2023 को तैयार की गयी। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 05.01.2023 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। प्रार्थी दिनांक 08.01.2023 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686. खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर पर तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन खसरा नम्बर 1774/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के खातेदार अप्रार्थीगण ने फिर भी तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि तहसीलदार बिलाड़ा से नाप आदि करवा कर तारबन्दी की जा रही है, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कहा कि ऐसे आदेश हमने कई देखे है, हमारा तहसीलदार बिलाड़ा कुछ भी नही बिघाड़ सकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में तारबन्दी व काश्त कार्य करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है, फिर भी अप्रार्थीगण व्यक्ति तारबन्दी नही करने दे रहे है, इस कारण प्रार्थी को खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर का नाप, (सीमांकन), पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी सीमांकन एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1772/1 रकबा 0.7686, खसरा नम्बर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टेयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमायें। सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 6 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 7 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किये गये जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1772/1 रकबा 0.7686 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नंबर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय खातेदार चरणसिंह पुत्र प्रतापसिंह के नाम पूर्ण हिस्सा दर्ज है। खसरा नंबर 1774/1 रकबा 0.8090 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय में चन्दनसिंह पुत्र फतेसिंह 1/6, दीपूकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6, प्रेमकंवर पुत्र फतेसिंह 1/6, रेणूकंवर पुत्री फतेसिह 1/6 जाति राजपूत, विक्रमसिंह पुत्र फतेसिंह 1/6, सागरकंवर पुत्री फतेसिंह 1/6 जाति राजपूत सा. जेलवा दर्ज है। खसरा नंबर 1772/1 व 1773/1 की पैमाईश पूर्व में दिनांक 05.01.2023 को पटवारी हल्का जैतीवास द्वारा की जाकर मौके पर उपस्थित खातेदारान को अपनी सीमाओं का ज्ञान करवाया जा चुका है। वादी द्वारा अपने खेत खसरा नंबर 1772/1 व 1773/1 के चारों ओर तारबंदी करवानी चाही तो प्रतिवादीगण द्वारा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तारबंदी करने से मना कर दिया। मौके पर दोनों पक्षों में माठ को लेकर विवाद बढे नहीं, इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा। सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु भूमिधारी सहमत है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1772/1 रकबा 0.7686 हैक्टयर, खसरा नंबर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के मध्य खसरा नंबर 1772/1 व खसरा नंबर 1773/1 उक्त खसरे से चिपते हुए खसरा नंबर 1774/1 को लेकर सीमा विवाद है। इस कारण मौके पर पूर्व सीमाकंन के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतीवास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 1772/1 रकबा 0.7686 हैक्टयर, खसरा नंबर 1773/1 रकबा 0.8494 हैक्टयर का दिनांक 05.01.2023 की सीमाकंन मौका फर्द के अनुसार केवल खसरा नंबर 1774/1 की तरफ अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा